न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 20/2020 वाद

1. जेबुननिशा पुत्री खान मोहम्मद पत्नी आजाद पठान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी अहीरों का पुरा, निम्बाहेड़ा।
2. मुन्नी उर्फ बतुल पुत्री खान मोहम्मद पत्नी जस्सु मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. गुलनाज पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. रिजवाना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. सुलताना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. सलमा पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. रूकसाना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

श्री ओम प्रकाश धाकड़, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 05.03.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा मण्डावली की खाता संख्या 290 की आराजी नं. 309 रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो हफीजा बेगम की खातेदारी में दर्ज होकर स्वअर्जित भूमि थी। हफीजा बेगम ने अपने जीवनकाल में वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर जरिये वसीयत (अन्तिम इच्छा पत्र) दिनांक 13.04.2017 को 500/– रूपये के स्टाम्प पर अपनी जाईन्दा पुत्रियों के पक्ष में न्यायालय परिसर, चित्तौडगढ़ में उपस्थित होकर स्वस्थ मन व चित्त से, बिना किसी दबाव व बहकावट के अंकित करा, गवाही गवाहान करा, अपनी अंगुठा निशानी करा दिया। वसीयतनामें की छायाप्रति संलग्न है। उक्त वसीयतनामें के 4 माह उपरान्त दिनांक 28.07.2017 को हफीजा बेगम की मृत्यु हो गई। हफीजा बेगम की मृत्यु के उपरान्त उक्त वसीयत प्रभाव में आ गई और वसीयत अनुसार हफीजा बेगम के नाम पर खातेदारी में दर्ज उक्त आराजीयात वादीगण 1/2, 1/2 दर्ज कराने की अधिकारी है। उक्त आराजीयात पर वादीगण अपनी माता के समय से लगातार काबिज काश्त चली आ रही है। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात अपने खातेदारी

Scanned with CamScanner

की घोषित कराने की अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी कर रहे हैं तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए मजबुरन वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे तथा वसीयत के आधार पर विवादित भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामें में प्रतिवादीगण ने हफीजा बेगम की वसीयत को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को वादीगण के नाम 1/2, 1/2 भूमि दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

वादीगण ने अपने दावे के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2070-73 ग्राम मण्डावली की खाता संख्या 290 प्रदर्श-1, वसीयतनामा दिनांक 13.04.2017 की छायाप्रति प्रदर्श-2ए, हफीजा बेगम के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये हैं। मोखिक साक्ष्य में मोहम्मद जीमल पीडब्ल्यु-1 तथा पप्पु खान उर्फ अब्बास खान पीडब्ल्यु-2 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये। विवादित भूमि हफीजा बेगम की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिनसे जरिये वसीयत उक्त भूमि को वादीगण को वसीयत कर दी तथा दिनांक 28.07.2017 को हफीजा बेगम की मृत्यु से उक्त वसीयत प्रभाव में आ गई है। इसके अतिरिक्त हफीजा बेगम के अन्य वारिसान प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वसीयत को स्वीकार किया है तथा वादीगण के नाम 1/2, 1/2 भूमि दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा राजीनामें अनुसार स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मण्डावली की खाता संख्या 290 की आराजी नं. 309 रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम 1/2, 1/2 खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 05.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

· मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 20/2020 वाद

1. जेबुननिशा पुत्री खान मोहम्मद पत्नी आजाद पठान मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी अहीरों का पुरा, निम्बाहेड़ा।
2. मुन्नी उर्फ बतुल पुत्री खान मोहम्मद पत्नी जस्सु मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी जावद दरवाजा, निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. गुलनाज पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. रिजवाना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
3. सुलताना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
4. सलमा पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
5. रूकसाना पुत्री बशीर मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अधि.

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश धाकड़ की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण राजीनामें अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा मण्डावली की खाता संख्या 290 की आराजी नं. 309 रकबा 0.8300 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम 1/2, 1/2 खातेदारी की घोषित की जाती है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 05.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:55:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: